O/o E.D. (EITC) 54444.
CSPDCL Raipur
Receipt No. ...... CSPTCL
Date 15 MAR 2023
A.G.M (IT)
SE (O)/SE ......
EE ......
Section......

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:– U40108CT2003SGC015820

कार्या :– मुख्य अभियंता (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./10/2022/1339 रायपुर, दिनांक 15 MAR 2023

(अपील प्रकरण क्रमांक 10/2022)

श्री संतोष कोसरिया अपीलार्थी
खरोरा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 15/03/2023 को पारित)

अपीलार्थी श्री संतोष कोसरिया ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के निर्णय दिनांक 14.12.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) -- प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद हेतु विज्ञापन क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/2452 रायपुर दिनांक 01.10.2018 के द्वारा भर्ती हेतु जारी भर्ती विज्ञापन के संबंध में बिन्दुवार जानकारी। (अ) उक्त भर्ती परीक्षा में आज दिनांक तक चयनित उपरांत कार्यभार ग्रहण किये गये समस्त कार्यरत अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की जानकारी वर्ग एवं प्रवर्गवार। (ब) उक्त भर्ती के परीक्षा परिणाम पश्चात् जारी की गई प्रतीक्षा सूची की वर्ग एवं प्रवर्गवार सहित प्राप्तांक की जानकारी।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित जानकारी "परव्यक्ति" से संबंधित गोपनीय सूचना है कहकर जानकारी प्रदान नहीं की गई है। भर्ती प्रकिया पूर्ण कर उम्मीदवारों के प्राप्तांक की जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी। अतः जो जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सार्वजनिक हो चुकी है को धारा 8 (1) (J) के तहत परव्यक्ति से संबंधित गोपनीय सूचना है कहकर मना किया गया है। अतः जानकारी गोपनीय बताना तर्कहीन है। अतएव वांछित बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
			अपीलार्थी द्वारा दर्ज अपील समयावधि के दौरान इस कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी पदस्थ

			नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में अपील में सुनवाई नहीं की जा सकी।
		17.02.2023	उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुये। दोनों के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :–		जनसूचना अधिकारी का तर्क/कथन कि अपीलार्थी द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में 02 बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि चाही गई जानकारी "पर व्यक्ति से संबंधित गोपनीय सूचना है। सूचनाधिकार की धारा 8 (1)(J) में निहित प्रावधान के अनुसार "पर व्यक्ति" की जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक_ 10044/2010 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के अनुसार उम्मीदवारों के नाम, पता, भौतिक मानसिक स्थिति, प्राप्त अंक, ग्रेड एवं उत्तर पुस्तिका को व्यक्तिगत सूचना के रूप में मान्य किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।) इसी अनुक्रम में माननीय छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक A/431/2020 कोरबा में आदेश दिनांक 27.05.2022 पारित किया है, जिसके अनुसार चयनित उम्मीदवारों के अंकों के प्रकटन को अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) में निहित प्रावधानो के अंतर्गत लोकहित में ना होने हेतु मान्य किया है। तथापि आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पत्र क्रमांक 562 दिनांक 12.02.2020 के माध्यम से छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि. के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिए डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद पर भर्ती की CBT एवं हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग की परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंक एवं चयनित अंतिम उम्मीदवार के अर्जित अंक की जानकारी/दस्तावेज से पूर्व में ही अवगत करा दिया गया है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह तालिका (IV) में उल्लेखित माननीय न्यायालय के आदेशानुसार है। अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में 02 बिन्दुओं के माध्यम से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती के संबंध में जानकारी/दस्तावेज चाही गई है, जो लोकक्रियालाप से सन्निहित नहीं होने के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है।

अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का तर्क/कथन कि डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती में पारदर्शिता व निष्पक्षता अपनाई नहीं गई है। अतः सत्यता की जॉच के दृष्टिगत उन्हे चाही गई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाए, ताकि सत्यता की जॉच की जा सकें।

(4) – उक्त तिथि को सम्पूर्ण दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध–न्यायिक प्रकृति की है। अतएव अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता की अनुपालन अपेक्षित है। तालिका (IV) में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती में जो शंका व्यक्त की गई है के निवारण हेतु बिन्दु (अ) की जानकारी प्रकट किया जा सकता है। क्योकि भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त किये गये अंक की जानकारी पूर्व में पॉवर कंपनी के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा चुकी है। अतः भर्ती परीक्षा में चयनित उपरांत कार्यभार ग्रहण किये गये समस्त कार्यरत अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत होगा।

अपील सुनवाई के दौरान तालिका (I) के बिन्दु क्रमांक (ब) के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पदों की भर्ती में प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई गई है। अपितु चयनित उम्मीदवारों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने के पश्चात् उत्पन्न हुए रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार भरे जाने विषयक पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। उक्त बिन्दु में जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क अपीलार्थी की शंका के निवारण हेतु प्रर्याप्त परिलक्षित होते है। अतएव बिन्दु (ब) में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार, यह अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी उल्लेखित तालिका (I) के बिन्दु क्रमांक **(अ)** की जानकारी/दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपील आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करें। तदनुसार उक्त निर्देश के दृष्टिगत दर्ज अपील प्रकरण क्रमांक 10/2022 दिनांक 29.12.2022 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

सही/–

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./10/2022/ 1390 **रायपुर, दिनांक** 15 MAR 2023

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) श्री संतोष कोसरिया, वार्ड नबंर –06, गुरू घासीदास मंदिर के सामने, खरोरा, तहसील –खरोरा, जिला –रायपुर (छ.ग.) पिन – 493225 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर

15/3/23

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह मुख्य अभियंता (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700